



रिज़र्व बैंक - ईन्टीग्रेटेड ऑम्बड्समेन स्कीम



आरबीआई नियंत्रित संस्थाओं विरुद्ध इरियाए निवारण माटे अकेल सुविधा



30 दिवसनी अंदर इरियाएनुं निवारण न थाय के आरबीआई द्वारा संचालित बैंक/एनबीएफ्सी/प्रणाली प्रतिभागियो द्वारा संतोषजनक निवारण न थाय पर आप ऐमनी इरियाए लोकपाल (ऑम्बड्समेन) पासे इरियाए नोंधावी शकारे



केन्द्रियकृत रसीए अने प्रक्रिया केन्द्र, रिज़र्व बैंक ओइ इन्डिया, चंटीगढ-160017 ने ओनलाइन <https://cms.rbi.org.in> पर अथवा पोस्ट द्वारा इरियाए करे



सेवाओमां थयेली ओछपनी इरियाएनो समावेश, मात्र अपवर्जन सूचिमां समावेली इरियाएनो छोडीने



पोतानी इरियाएनी वास्तविक स्थितिने इरियाए प्रबंध प्रणाली (<https://cms.rbi.org.in>) पर जुओ



आरबीआई कहे छे...
जाणकार बनो,
सतर्क रहो!

वधु माहिती माटे 9.30 am थी 5.15 pm सुधी 14448 पर कोल करे (राष्ट्रीय रज्जाओ सिवाय अठवाडियाना दिवसोमां) इरियाए नोंधाववा माटे, <https://cms.rbi.org.in> पर विजिट करे



वधु माहिती माटे, <https://rbikehtahai.rbi.org.in/> पर विजिट करे
प्रतिक्रिया आपवा माटे, rbikehtahai@rbi.org.in ने लजो



जनहितमां प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in